an>

Title: Need to appoint a Member in Bhakra Beas Management Board from Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) ः दिनांक 31.12.1981 को पंजाब-हरियाणा-राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में समझौता हुआ था जिसमें राजस्थान का हिस्सा 52.65 प्रतिशत तय किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी राजस्थान के अधिकारी को बी.बी.एम.बी. में सदस्य पद पर नियुक्त करने से हमेशा इंकार किया जाता रहा है। अध्यक्ष, बी.बी.एम.बी. आरम्भ से ही सदस्य राज्यों से नहीं होकर अन्य राज्यों से नियुक्त किये जाते रहे हैं लेकिन भारत सरकार द्वारा सदस्य, ऊर्जा की नियुक्ति पंजाब राज्य से एवं सदस्य, सिंचाई की नियुक्ति हरियाणा राज्य से की जाती रही है। सदस्यों को केवल पंजाब एवं हरियाणा राज्य से ही नियुक्त किया जाए, बी.बी.एम.बी. में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति सदस्य राज्यों से रोटेशन से की जानी चाहिए। बी.बी.एम.बी. की 122वीं बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि एक सदस्य राजस्थान का होना चाहिए। जनवरी 2011 में राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति के सदस्यों के साथ हुई मीटिंग में भी यह मुद्दा उठाया गया था लेकिन बी.बी.एम.बी. ने राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति को दिये इस आश्वासन को भी पूरा नहीं किया है। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह करने के बावजूद आज तक बी.बी.एम.बी. में सदस्य, राजस्थान की नियुक्ति नहीं की गई है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ऊर्जा मंत्रालय बी.बी.एम.बी. को निर्देशित करे कि सचिव/सदस्य पद पर नियुक्ति राजस्थान कैडर के अधिकारी से की जाये ताकि राजस्थान के हितों की रक्षा की जा सके।